प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 29 / 2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

नई दिल्ली, 22 अप्रैल 2025

विषय: भादूविप्रा ने "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनियमन" 2024 के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की।

नई दिल्ली 22 अप्रैल, 2025 - अध्ययनों के अनुसार, 70-80% मोबाइल डेटा की खपत इमारतों या इनडोर क्षेत्रों के अंदर होती है। 4G और 5G तकनीकों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए उच्च फ्रीक्वेंसी बैंड का प्रयोग किया जाता है। हालाँकि, 2G बैंड की तुलना में, उच्च फ्रीक्वेंसी के बैंड, स्टील और कंक्रीट की निर्माण सामग्री से बनी दीवारों वाले भवन द्वारा उच्च दर पर क्षीण हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था, शासन और समाज के निरंतर डिजिटलीकरण के कारण डेटा उपभोग की मात्रा और गति में तेजी से वृद्धि हुई है और वर्तमान युग में अच्छी डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए, अच्छी इन-बिल्डिंग डिजिटल कनेक्टिविटी एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। इमारतों के अंदर निर्बाध संचार व्यवस्था प्राप्त करने के लिए, डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) को पानी, बिजली और सुरक्षा प्रणालियों जैसी अन्य आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाना चाहिए।

आज आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने की। कार्यशाला को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली। कार्यशाला में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आवास एवं शहरी विकास और आईटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 125 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

भादूविप्रा के अध्यक्ष ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में इस बात पर बल दिया कि, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बिल्डिंग बाईलॉज के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं में डीसीआई के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौपर्टी डेवलपर्स और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भादूविप्रा के विनियमों में डिजिटल कनेक्टिविटी की गुणवत्ता के लिए संपत्तियों की स्टार रेटिंग की परिकल्पना की गई है, जो की परियोजनाओं की ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग या उपकरणों की ऊर्जा दक्षता रेटिंग के समान है। डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एक लाइव प्रक्रिया होगी और इसमें परियोजना के जीवनचक्र के दौरान डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग की समीक्षा शामिल होगी। भादूविप्रा ने डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसियों (डीसीआरए) को सूचीबद्ध या पंजीकृत करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।

इस कार्यशाला में देश में इन-बिल्डिंग डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भादूविप्रा की पहल का विवरण दिया गया और भादूविप्रा द्वारा जारी "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनियमन, 2024 दिनांक 25 अक्टूबर 2024 का संक्षिप्त विवरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण में डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित 'राष्ट्रीय भवन संहिता' (एनबीसी) और 'मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉज' (एमबीबीएल) के प्रावधानों को भी शामिल किया गया। प्रस्तुतीकरण सत्र में रेटिंग प्रक्रिया, जिसके तहत

संपत्तियों का मूल्यांकन और रेटिंग की जाएगी, पर विस्तार से चर्चा की गई । कार्यशाला का समापन प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ, जिससे प्रतिभागियों को इनबिल्डिंग डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों से सीधे जुड़ने का मौका मिला।

डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों की रेटिंग, देश में डीसीआई बनाने के लिए एकसमान मानक संदर्भ (यूनीफार्म स्टैंडर्ड रिफरेंस) प्रदान करेगी। बाईलॉज में रेटिंग ढांचे को अपनाने से, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों के अंतिम उपयोगकर्ता, संपत्ति खरीदने या पट्टे पर लेते समय विकल्पों पर विचार उचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, रेटिंग ढांचे की मदद से सार्वजनिक भवनों में सेवा गुणवत्ता (क्वालिटी ऑफ एक्सपीरिऐंस) में भी सुधार होगा। विनियमों के तहत संपत्ति में डिजिटल कनेक्टिविटी में गिरावट के मामले में उपभोक्ता, रेटिंग की समीक्षा की मांग कर सकते है। इसी तरह संपत्ति प्रबंधक भी यदि डीसीआई में महत्वपूर्ण सुधार करते हैं तो रेटिंग की समीक्षा की मांग कर सकते हैं।

कार्यशाला का समापन डॉ. एम.पी. तंगिराला, सदस्य, भादूविप्रा के समापन टिप्पणी के साथ हुआ।

(**अतुल कुमार चौधरी**)
सचिव